

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.8(1)विधि-2/विरसं.(175)/2023/ 102.

जयपुर, दिनांक: 01.09.2025

:: अधिसूचना ::

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यायक 39) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन एतद्वारा करती है जिनकी प्रादेशिक सीमा का क्षेत्राधिकार व बैठक का स्थान क्रमशः कॉलम संख्या 3 व 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र. सं.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	प्रादेशिक सीमा का क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फलौदी	सम्पूर्ण राजस्व जिला फलौदी	फलौदी
2.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीडवाना	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीडवाना	डीडवाना
3.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खैरथल	सम्पूर्ण राजस्व जिला खैरथल	खैरथल
4.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ब्यावर	सम्पूर्ण राजस्व जिला ब्यावर	ब्यावर
5.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाड़मेर	सम्पूर्ण राजस्व जिला बाड़मेर	बाड़मेर
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीग	डीग
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटपूतली	सम्पूर्ण राजस्व जिला कोटपूतली	कोटपूतली
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सलूम्बर	सम्पूर्ण राजस्व जिला सलूम्बर	सलूम्बर

नवगठित प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10 (2) के अनुसार होंगे।

आज्ञा से,
01/9/25
(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
7. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी/डीडवाना/खैरथल/ब्यावर/बाडमेर/डीग/ कोटपूतली /सलूमबर।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(सुरेन्द्र प्रसाहित)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं.)